प्रेस नोट थाना सेहरामऊ दक्षिणी

जनपद शाहजहाँपुर

सराहनीय कार्य 09.05.2026

थाना सेहरामऊ दक्षिणी पुलिस टीम द्वारा थाना पर पंजीकृत शादी का झांसा देकर महिला के साथ दुष्कर्म करने से संबंधित अभियोग में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर महोदय, श्री सौरभ दीक्षित के निर्देशानुसार जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना सेहरामऊ दक्षिणी के कुशल नेतृत्व में थाना साहरामऊ दक्षिणी पुलिस टीम को बडी सफलता प्राप्त हुई।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 04.05.2026 को थाना स्थानीय पर दी गई तहरीर में वादिनी द्वारा आरोप लगाया गया कि उसके देवर कौशल द्वारा उसे पत्नी के रूप में रखने का झांसा देकर विगत 07 वर्षों से दुष्कर्म किया गया तथा बाद में शादी करने से इंकार कर दिया गया। वादिनी द्वारा विरोध करने पर अभियुक्त द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई। उक्त प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 133/2026 धारा 69/351(3) बीएनएस बनाम कौशल पुत्र जयचन्द, उम्र करीब 26 वर्ष, निवासी ग्राम देवकली, थाना सेहरामऊ दक्षिणी, जनपद शाहजहाँपुर पंजीकृत किया गया। दिनांक 09.05.2026 को समय 10:00 बजे पीआरवी के माध्यम से थाना पर सूचना प्राप्त हुई कि उक्त मुकदमे से संबंधित अभियुक्त कौशल पुत्र जयचन्द बरेली मोड़ से पूर्व चाँदापुर जाने वाले मार्ग पर स्थित मोबाइल टावर पर चढ़ गया है। सूचना प्राप्त होते ही थाना सेहरामऊ दक्षिणी पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुँची तथा तत्परता एवं सूझबूझ का परिचय देते हुए उक्त व्यक्ति को सकुशल नीचे उतारा गया। तत्पश्चात आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

कौशल पुत्र जयचन्द उम्र करीब 26 वर्ष निवासी ग्राम देवकली थाना से0म0द0 जनपद शाहजहाँपुर।

गिरफ्तारी का स्थान,दिनांक व समय-

बरेली मोड़ से पूर्व चाँदापुर जाने वाले मार्ग पर स्थित मोबाइल टावर पर दिनांक 09.05.26 को समय 10.00 बजे।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 133/2026 धारा 69/351(3) बीएनएस

पूंछताछ का विवरण-

अभियुक्त कौशल पुत्र जयचन्द उम्र करीब 26 वर्ष निवासी ग्राम देवकली थाना से0म0द0 जनपद शाहजहाँपुर द्वारा पूछने पर बताया कि मु0अ0स0- 133/2026 धारा 63/351(3) बीएनएस की गिरफ्तारी से बचने हेतु चाँदापुर वाले रोड पर मोबाइल टावर पर चढ गया था तभी थाना पुलिस द्वारा मुझे गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. उ0नि0 श्री इरफान अली थाना से0म0द0 जनपद शाहजहाँपुर।
2. उ0नि0 मनीष शर्मा थाना से0म0द0 जनपद शाहजहाँपुर।
3. का0 2817 मनोज कुमार थाना से0म0द0 जनपद शाहजहाँपुर।
4. म0का0 2863 चंचल थाना से0म0द0 जनपद शाहजहाँपुर।
5. रि0म0का0 प्रियंका थाना से0म0द0 जनपद शाहजहाँपुर।